

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263  
THE CRIMINAL  
CODE, 1898

OR 264 OF  
PROCEDURE

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 66 / 2018

Name and address of the complainant म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused-

1. वीरू उर्फ वीरसिंह तोमर पुत्र रणवीर सिंह तोमर उम्र 38 वर्ष

निवासी- नंदपुरा थाना पोरसा, जिला मुरैना म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission

तुम घटना दिनांक 30/03/18 के 1645 बजे नहर मोहल्ला पानी की टकी के पास गोहद में अपने आधिपत्य में 20 ब्राटर देशी शराब विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी आज्ञा के अवैध रूप से संग्रह कर विक्रय के आशय से रखे हुये पाये गये।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination [if any]

आरोपी का जवाब-

अपराध स्वीकार है।



प्रतिष्ठा अवस्थी

न्यायिक अधिकारी म०प्र०  
गोहद जिला-भिण्ड (म०प्र०)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## // निर्णय //

(आज दिनांक 07-5-18 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती है।
3. फलस्वरूप आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800/- रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब उचित निराकरण हेतु आबकारी विभाग की ओर भेजी जावे
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक-07/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

RA

7/5/18

प्रतिनिधित्व (अवस्था)  
जेलर गोहद  
गोहद जिला- बिष्ट (म प)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

RA

7/5/18

(अवस्था अवस्था)  
जेलर गोहद  
गोहद जिला- बिष्ट (म प)